न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ इंद्रजीत यादव, IAS

प्रकरण संख्या : 05/ 2025
GCMS संख्या : 2025/38

प्रार्थी/अपीलार्थी :– बनाम अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–

श्री नरु पिता भेरिया जाति भील निवासी वीरपुर, तहसील आंबापुरा, जिला बांसवाडा

1. श्री गौतम पिता रामा जाति पटेल निवासी वीरपुर तहसील आंबापुरा जिला बांसवाडा
2. श्री लाबु पिता रामा जाति पटेल निवासी वीरपुर, तहसील आंबापुरा जिला बांसवाडा
3. तहसीलदार तहसील आंबापुरा

उपस्थित

श्री यशपाल गुप्ता, अधिवक्ता अपीलांट

श्री मुकेश रावत, अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स सं 1, 2

श्री भूपेन्द्र जैन, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक :– 04–09–2025

अपीलांट द्वारा तहसीलदार तहसील आंबापुरा जिला बांसवाडा के प्रकरण सं. 01/2024 नारु पिता भेरिया बनाम गौतम पिता रामा व अन्य में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निर्णय दिनांक 19.02.2025 से असन्तुष्ट, अप्रसन्न व व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य बकौल अपीलांट इस प्रकार है कि अपीलांट/ प्रार्थी के मिलकियत व स्वामित्व एवं खातेदारी एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खाता संख्या 415 नया, 206 पुराना के खेत सर्वे नंबर 984 रकबा 0.324 है. वाके ग्राम वीरपुर, पटवार क्षेत्र वीरपुर तहसील आंबापुरा जिला बांसवाडा राजस्थान में स्थित है। उपरोक्त भूमि के अपीलांट/ प्रार्थी खातेदार कृषक है एवं राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2074–77 में इन्द्राज है तथा उक्त भूमि पर अपीलांट/ प्रार्थी काबिज है एवं अन्य खेत भी अपीलांट/ प्रार्थी के इसी भूमि के पास लगे हुए है तथा उक्त भूमि रेस्पोडेंट्स/ अप्रार्थी का कोई हक अधिकार नही है।

अपीलांट/ प्रार्थी की भूमि आंबापुरा से बाजना रोड पर स्थित है एवं रेस्पोडेंट्स/ अप्रार्थी ने सडक की भूमि का नाजायज फायदा उठाते हुए प्रार्थी जब मजदूरी पर बाहर सुरत गया हुआ था कि अप्राथी/ रेस्पोडेंट्स सं.1 ने अपीलांट/ प्रार्थी की भूमि पर बिना किसी वैद्य अधिकार के 2 दुकानो का निर्माण किया एवं प्र[illegible] की साईज 12 बाय 60 फीट है। उक्त दुकान के पश्चिम में रोड, पूर्व में अपीलांट/ प्रार्थी की भूमि, उत्तर में अपीलांट/ प्रार्थी की भूमि व दक्षिण में लाबू पित[illegible] ने अपीलांट/ [illegible] की भूमी पर जबरदस्ती [illegible] किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.12.03 13:12:28 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 24.04.2024 को रेस्पोडेंट/ अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि खाता सं. 415 नया व खाता सं. 206 पुराना के खेत सर्वे नंबर 984 रकबा 0.0324 है., वाके ग्राम वीरपुर, पटवार क्षेत्र

Scanned with OKEN Scanner

वीरपुर तहसील आंबापुरा जिला बांसवाडा पर अवैध तरिके से दुकानो का निर्माण कर लेने की जानकारी होने पर , रेसपोडेंट्स/ अप्रार्थी को बाद समझाईश भी रेस्पोडेंट्स/ अप्रार्थी द्वारा गाली गलौच करने तथा जबरन बल पूर्वक अपने कब्जे को बनाये रखना चाहते है, जिससे अपीलांट को रेसपोडेंट के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायाल में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी व निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 30.01.2025 के आधार पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया।

अधीनस्थ न्यायालय ने भू निरीक्षक आंबापुरा व पटवार हल्का वीरपुर की जो सयुक्त रिपोर्ट दिनांक 30.01.2025 को प्राप्त हुई उक्त रिपोर्ट को देखने से स्पष्ट है कि रिपोर्ट कार्यालय में बैठकर तैयार की गई है एवं दोनो पक्षो की उपस्थिति में तैयार नही की गई है तथा रिपोर्ट में अपीलांट/ प्रार्थी को खातेदार माना है तथा रेस्पोडेंट्स/ अप्रार्थी ने उक्त दुकानो का निर्माण किस सर्वे नंबर में किया है, क्या वह भूमि आबादी है तथा दुकानो का निर्माण करने से पूर्व क्या पंचायत से स्वीकृति ली गई दुकाने किस सन् में निर्माण की उसका कही भी उल्लेख नही है।

अपीलांट की ओर से प्रस्तुत फोटोग्राफ्स जिसमे कि दुकानो का निर्माण आंबापुरा से बाजना रोड पर किया गया है एवं उक्त फोटाग्राफ्स की भूमि किस सर्वे नंबर में आती है वह पटवारी व भू निरीक्षक द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में कोई उल्लेख नही किया एवं सारी जांच रिपोर्ट एक तरफा बनाई गई है जिस पर अपीलांट/ प्रार्थी के हस्ताक्षर नही है इससे स्पष्ट होता है कि रिपोर्ट मेलाफाईड इनटेन्शन से तैयार की गई है और मात्र रेस्पोडेंट्स को लाभ पहुचाने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट्स/ अप्रार्थी से किसी प्रकार की साक्ष्य व दस्तावेज प्राप्त नही किये जो एक कानूनी प्रक्रिया का भाग है जिसकी अनदेखी कर जो निर्णय पारित किया है वह काबिल खारीज के है। अपील अपीलांट स्वीकृत फरमावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 17.04.2025 को रेस्पोडेंट्स के नोटिस बाद तामील पेश हुए। रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 की ओर से श्री मुकेश रावत अधिवक्ता ने अभिभाषक पत्र पेश किया। दिनांक 09.07.2025 को रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 की ओर से उनके अधिवक्ता ने जवाब पेश किया। प्रस्तुत जवाब में मुख्य रुप से यह उल्लेख किया गया है कि अपील में खाता सं. 415(नया) 206 (पुराना) के खेत सर्वे नंबर 984 रकबा 0.324 है. वाके गांव वीरपुर के मजरा सातवापाडा पटेल बस्ती के पीछे स्थित है व उक्त कृषि भूमि सर्वे नंबर 984 अपीलांट्स/ प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि है। सर्वे नंबर 984 के पास स्थित अन्य सर्वे नंबर 981, 982, 983, 985, 986, 988, 2002/988 एवं 990, श्रीसरकार 991, श्रीसरकार 1638/981 स्थित है जो कि अपीलांट/ प्रार्थी नरु पिता भेरिया व उसके भाईयों की कृषि भूमि है। अपीलांट/प्रार्थी को सर्वे नंबर 984 का ज्ञान नही है की सर्वे नंबर 984 किस स्थान पर स्थित है यह जानकारी अपीलांट/ प्रार्थी को नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.12.03 13:12:28 IST
Reason: SelfAttested

अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट/ प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी, ट्रेस नक्शा पेश किया है वह सर्वे नंबर 984 रकबा 0.0324 का है लेकिन जो छायाचित्र (फोटो) संलग्न किये है वे रेस्पोडेंट/ अप्रार्थी गौतम पिता रामा एवं लाबु पिता रामा की कब्जेशुदा

Scanned with OKEN Scanner

आबादी भूमि खसरा संख्या 1447/45 रकबा 0.0405 वाके ग्राम गणेशपुरा, मामा बालेश्वर दयाल चौराहे वीरपुर में स्थित दुकानो का पेश किया है।

अपीलांट/ प्रार्थी ने अपने अपील में यह स्वीकार किया है कि रेस्पोडेंट/ अप्रार्थी सं. 1 गौतम एक दुकान में किराणा का व्यापार कर रहा है व दुसरी दुकान में रेस्टोरेन्ट चला रहा है। उक्त दुकान व रेस्टोरेन्ट का सर्वे नंबर 1447/45 रकबा 0.0405 है. वाके ग्राम गणेशपुरा, मामा बालेश्वर दयाल चौराहा पर आबादी स्वामित्व की आबादी भूमि होकर उक्त भूमि रेस्पोडेंट अप्रार्थी द्वारा दिनांक 18.06.20024 को तहसीलदार बांसवाडा द्वारा आदेश एफ 1(3)/राज/ 2004/ 1714–18 कृषि से अकृषि में संपरिवर्तन की गई है तथा उक्त संपरिवर्तन आबादी भूमि में रेस्पोडेंट/ अप्रार्थी ने दुकाने बनाई है।

अपीलांट/ प्रार्थी ने अपने सर्वे नंबर 984 का प्रार्थना पत्र धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का तहसीलदार आंबापुरा में प्रस्तुत किया जिसकी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत मौका पर्चा बनाकर जांच की गई। जिसमे भी पाया कि अपीलांट/ प्रार्थी की सर्वे नंबर 984 की भूमि अलग स्थान पर स्थित है तथा उक्त कृषि भूमि सर्वे नंबर 984 में रेस्पोडेंट/ अप्रार्थी ने कोई निर्माण कार्य नही किया है।

अपीलांट को सर्वे नंबर 984 रकबा 0.0324 वाके गांव वीरपुर की साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार स्वयं पर है लेकिन अपीलांट/ प्रार्थी को अपने सर्वे नंबर 984 के स्थित बाबत् कोई जानकारी नही है जबकि सर्वे नंबर 984 रकबा 0.324 की कृषि भूमि वाके गांव वीरपुर के मजरा सातवापाडा पटेल बस्ती के पीछे स्थित है तथा उक्त भूमि पर अपीलांट/ प्रार्थी मौके पर काश्त कर रहा है।

श्रीमान् से निवेदन है कि अपील अपीलांट अस्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.02.2025 को यथावत रखे जाने आदेश प्रदान किये जावे।

दिनांक 31.07.2025 को उभय पक्षकारान् की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई, बहस अधुरी रही। 01.09.2025 को उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत मजीद बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मैमो में उल्लेखित तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट के मिलकियत व स्वामित्व एवं खातेदारी एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खाता संख्या 415 नया, 206 पुराना के खेत सर्वे नंबर 984 रकबा 0.324 है. वाके ग्राम वीरपुर, पटवार क्षैत्र वीरपुर तहसील आंबापुरा जिला बांसवाडा राजस्थान में स्थित है। उपरोक्त भूमि के अपीलांट खातेदार कृषक है एवं राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2074–77 में इन्द्राज है तथा उक्त भूमि पर अपीलांट काबिज है एवं अन्य खेत भी अपीलांट के इसी भूमि के पास लगे हुए है तथा उक्त भूमि रेस्पोडेंट्स का कोई हक अधिकार नही है।

अपीलांट की भूमि आंबापुरा से बांजना रो[illegible] है एवं रेस्पोडेंट्स ने सडक की भूमि का नाजायज फायदा उ[illegible]या हुआ था कि अप्राथी सं.1 ने अपीलांट की भूमि पर बिना किसी वैध [illegible]कार के 2 दुकानो का निर्माण किया एवं प्रत्येक दुकान की साईज 12 बाय 60 फीट है। [illegible]त दुकान के पश्चिम में रोड, पूर्व में अपीलांट की भूमि, उत्तर में अपीलांट की भूमि व दक्षिण में लाबू पिता रामा ने अपीलांट की भूमी पर जबरदस्ती कब्जा किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.12.03 13:12:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 24.04.2024 को रेस्पोडेंट द्वारा कृषि भूमि खाता सं. 415 नया व खाता सं. 206 पुराना के खेत सर्वे नंबर 984 रकबा 0.0324 है., वाके ग्राम वीरपुर, पटवार क्षेत्र वीरपुर तहसील आंबापुरा जिला बांसवाडा पर अवैध तरिके से दुकानो का निर्माण कर लेने की जानकारी होने पर अपीलांट ने रेस्पोडेंट के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी व निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 30.01.2025 के आधार पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया।

अधीनस्थ न्यायालय ने भू निरीक्षक आंबापुरा व पटवार हल्का वीरपुर की जो सयुक्त रिपोर्ट दिनांक 30.01.2025 को प्राप्त हुई उक्त रिपोर्ट को देखने से स्पष्ट है कि रिपोर्ट कार्यालय में बैठकर तैयार की गई है एवं दोनो पक्षो की उपस्थिति में तैयार नही की गई है तथा रिपोर्ट में अपीलांट को खातेदार माना है तथा रेस्पोडेंट्स ने उक्त दुकानो का निर्माण किस सर्वे नंबर में किया है, क्या वह भूमि आबादी है तथा दुकानो का निर्माण करने से पूर्व क्या पंचायत से स्वीकृति ली गई दुकाने किस सन् में निर्माण की उसका कही भी उल्लेख नही है।

अपीलांट की ओर से प्रस्तुत फोटोग्राफ्स जिसमे कि दुकानो का निर्माण आंबापुरा से बाजना रोड पर किया गया है एवं उक्त फोटाग्राफ्स की भूमि किस सर्वे नंबर में आती है वह पटवारी व भू निरीक्षक द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में कोई उल्लेख नही किया एवं सारी जांच रिपोर्ट एक तरफा बनाई गई है जिस पर अपीलांट के हस्ताक्षर नही है इससे स्पष्ट होता है कि रिपोर्ट मेनाफाईड इनटेन्शन से तैयार की गई है और मात्र रेस्पोडेंट्स को लाभ पहुचाने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट्स से किसी प्रकार की साक्ष्य व दस्तावेज प्राप्त नही किये जो एक कानूनी प्रक्रिया का भाग है जिसकी अनदेखी कर जो निर्णय पारित किया है वह काबिल खारीज के है। अपील अपीलांट स्वीकृत फरमावे।

रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि अपील में खाता सं. 415(नया) 206 (पुराना) के खेत सर्वे नंबर 984 रकबा 0.324 है. वाके गांव वीरपुर के मजरा सातवापाडा पटेल बस्ती के पीछे स्थित है व उक्त कृषि भूमि सर्वे नंबर 984 अपीलांट्स के खातेदारी की कृषि भूमि है। सर्वे नंबर 984 के पास स्थित अन्य सर्वे नंबर 981, 982, 983, 985, 986, 988, 2002/988 एवं 990, श्रीसरकार 991, श्रीसरकार 1638/981 स्थित है जो कि खातेदार अपीलांट नरु पिता भेरिया व उसके भाईयों की कृषि भूमि है। अपीलांट/प्रार्थी नरु को सर्वे नंबर 984 का ज्ञान नही है की सर्वे नंबर 984 किस स्थान पर स्थित है यह जानकारी अपीलांट/प्रार्थी को नही है।

अधिनस्थ न्यायालय में अपीलांट अपने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी, ट्रेस नक्शा पेश किया है वह सर्वे नंबर 984 रकबा 0.0324 का है उक्त जो छायाचित्र (फोटो) संलग्न किये है वे रेस्पोडेंट गौतम पिता रामा एवं लालू पिता रामा के कब्जेशुदा आबादी भूमि खसरा संख्या 1447/45 रकबा 0.0405 वाके ग्राम गणेशपुरा, मामा [illegible]श्वर दयाल चौराहे वीरपुर में स्थित दुकानो का पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.12.03 13:42:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अपीलांट ने अपील में यह उल्लेखित किया है कि जब वह मजदुरी करने बाहर सूरत गुजरात गया हुआ था कि रेस्पोडेंट सं. 1 ने अपीलांट की भूमि पर बिना किसी वैद्य अधिकार के दो दुकान का निर्माण किया के तथ्य गलत व बनावटी है जबकि उक्त दुकान व रेस्टोरेन्ट अपने स्वयं के सर्वे नंबर 1447/45 रकबा 0.0405 है. वाके ग्राम गणेशपुरा, मामा बालेश्वर दयाल चौराहा पर आबादी स्वामित्व की आबादी भूमि होकर उक्त भूमि रेस्पोडेंट अप्रार्थी द्वारा दिनांक 18.06.20024 को तहसीलदार बांसवाडा द्वारा आदेश एफ 1(3)/राज/ 2004/ 1714–18 कृषि से अकृषि में संपरिवर्तन की गई है तथा उक्त संपरिवर्तन आबादी भूमि में रेस्पोडेंट ने दुकाने बनाई है।

अपीलांट ने अपने सर्वे नंबर 984 का प्रार्थना पत्र धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का तहसीलदार आंबापुरा में प्रस्तुत किया जिसकी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत मौका पर्चा बनाकर जांच की गई। जिसमे भी पाया कि अपीलांट की सर्वे नंबर 984 की भूमि अलग स्थान पर स्थित है तथा उक्त कृषि भूमि सर्वे नंबर 984 में रेस्पोडेंट ने कोई निर्माण कार्य नही किया है।

अपीलांट को सर्वे नंबर 984 रकबा 0.0324 वाके गांव वीरपुर की साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार स्वयं पर है लेकिन अपीलांट को अपने सर्वे नंबर 984 के स्थित बाबत् कोई जानकारी नही है जबकि सर्वे नंबर 984 रकबा 0.324 की कृषि भूमि वाके गांव वीरपुर के मजरा सातवापाडा पटेल बस्ती के पीछे स्थित है तथा उक्त भूमि पर अपीलांट मौके पर काश्त कर रहा है।

श्रीमान् से निवेदन है कि अपील अपीलांट अस्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.02.2025 को यथावत रखे जाने आदेश प्रदान किये जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार सुनवाई की जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अपील अपीलार्थी निरस्त फरमावे।

हमने उभयपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध अभिलेखो का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। दौराने बहस अपीलांट के अधिवक्ता का प्रमुख रुप से उज्र रहा कि अपीलांट के मिलकियत व स्वामित्व एवं खातेदारी एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खाता संख्या 415 नया, 206 पुराना के खेत सर्वे नंबर 984 रकबा 0.0324 है. वाके ग्राम वीरपुर, पटवार क्षैत्र वीरपुर तहसील आंबापुरा में आंबापुरा से बाजना रोड पर स्थित है एवं रेस्पोडेंट्स ने सडक की भूमि का नाजायज फायदा उठाते हुए अप्राथी सं.1 ने अपीलांट की भूमि पर बिना किसी वैद्य अधिकार के 2 दुकानो का निर्माण किया एवं प्रत्येक दुकान की साईज 12 बाय 60 फीट है। उक्त दु[illegible]श्चिम में रोड, पूर्व में अपीलांट की भूमि, उत्तर में अपीलांट की [illegible] अपीलांट की भूमी पर जबरदस्ती कब्जा किया है। इसके विपरित रेस्पोडेंट [illegible] व 2 द्वारा जाहिर किया कि खाता सं. 415(नया) 206 (पुराना) के खेत सर्वे नंबर 984 [illegible]बा 0.0324 है. वाके गांव वीरपुर के मजरा सातवापाडा पटेल बस्ती के पीछे स्थित है व उक्त कृषि भूमि सर्वे नंबर 984 अपीलांट्स के खातेदारी की कृषि भूमि है। अपीलांट/प्राथी नरु को सर्वे नंबर 984 का ज्ञान नही है की

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.12.03 13:12:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

सर्वे नंबर 984 किस स्थान पर स्थित है यह जानकारी अपीलांट/प्रार्थी को नही है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी वीरपुर एवं भू अभिलेख निरीक्षक आंबापुरा की रिपोर्ट से प्रकट आया कि प्रश्नगत आराजी ग्राम वीरपुर के खाता सं. 415 खसरा सं. 984 कुल रकबा 0.0324 है. भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण नही किया गया है। मौके पर खातेदार श्री नरु पिता भेरिया जाति भील द्वारा तत्समय रबी की फसल की बुआई की जाकर फसल खडी होना बताया गया है। साथ ही अपीलांट के अधिवक्ता की एक अन्य आपत्ति कि उक्त दुकानो का निर्माण किस सर्वे नंबर में किया गया है उसका कही भी अंकन नही है। इस सन्दर्भ में यह कि इस प्रकरण में किसी भी प्रकार से यह विचारणीय बिन्दु नही है।

इस प्रकार अनुसूचित जनजाति की खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण नही पाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में जाँच, तथ्यो की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया है, जिसमे किसी प्रकार का कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नही होती है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतित नही होता है।

परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहिन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील आंबापुरा जिला बांसवाडा के प्रकरण सं. 01/2024 नरु बनाम गौतम व अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निर्णय दिनांक 19.02.2025 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04-09-2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया। I

(डॉ. इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.12.03 13:12:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner